न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र 14(4): 02/2019

भारत संघ रक्षा विभाग जरिये प्रभारी अधिकारी केस, एडम कमान्डेंट स्टेशन रोड क्वाटर भरतपुर लेफ्टीनेन्ट कर्नल के.एस.नेगी

....प्रार्थी

बनाम

1. कपूरचन्द सिंघल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति वैश्य निवासी गुर्दा नदी तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल निवासी सी–43 रनजीत नगर भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने तथाकथित फर्जी एलाटमेन्ट तारीख 28.07.1996 अन्तर्गत रूल्स 14 सबरूल 4 एलाटमेन्ट रूल्स 1970 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री विजय सिंह फौजदार अधिवक्ता अपीलान्टस
2. श्री रमनलाल गित्तल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 15.12.2021**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) द्वारा निरस्त किये जाने तथाकथित फर्जी एलाटमेन्ट दिनांक 27.07.1986 अन्तर्गत धारा 14(4) राज0भू0राजस्व अधिनियम को निरस्त कर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम को शून्य घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण सं01 ने एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर में दिनांक 16.02.2018 को अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर हाल ख0न0 368 रकबा 36 चक नम्बर 2 भरतपुर उसकी खातेदारी में है जिसमें भरतपुर डिफेन्स के द्वारा अपनी जमीन की वाउण्ड्री कराई जा रही है। जिसमें उक्त ख0न0 368 के अन्दर आ रहा है। प्रार्थी को नोटिस सम्मन व नकल दावा से मालूम हुआ कि जिस भूमि को अप्रार्थी स0 01 अपनी खातेदारी में बता रहा है वह सरकार द्वारा रक्षा विभाग को दी गई भूमि सन् 1950 के साथ दी गई भूमि के साथ है। जिस पर तारबंदी से सीमा को दर्शाया गया था तथा रक्षा विभाग के अनुसार समस्त भूमि की वाउण्ड्री वाल बनाई गई है जो

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

कि दावा करने के समय पूर्ण हो चुकी थी । आज भी चारों तरफ वाउण्ड्री वाल बनी हुई है। उक्त वाउण्ड्री वाल की नींव राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में पैमाइश से लगाई गई है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने दावे कही नही लिखा है कि खसरा नम्बर 368 रकबा 36 ऐयर कहां से आया, प्रार्थी की ओर से अपने जबाब दावा में यह कहा गया कि यह भूमि रक्षा विभाग की है। उसके नाम हाल खसरा नम्बर 368 खातेदारी कैसे हो गई तब अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 28.07.1986 के एलॉटमेन्ट की सत्यप्रति पेश न करके सूचना के अधिकार के तहत सूचना पेश की है कि साविक खसरा नम्बर 328 में से कपूरचन्द की खातेदारी की कदीम किस्म 5 बीघा भूमि फ्लड ड्रेन के लिये अवाप्त की थी उसकी एवज में अप्रार्थी संख्या 1 ने साविक खसरा नम्बर 330 रकबा 2.05 बीघा भूमि जिला कलक्टर से एलॉट कराया था, किन्तु उक्त आवंटन आदेश की सत्यप्रति पेश नही की। साविक खसरा नम्बर 330 व 328 की जमाबंदी एवं साविक नक्शा पेश नही किया। इस तरह प्रार्थी को कपूरचन्द के नाम तथाकथित फर्जी एलॉटमेन्ट की जानकारी दिनांक 15.10.2018 को हुई थी। रक्षा विभाग की वाउण्ड्री के अन्दर अप्रार्थी संख्या 01 को किसी भूमि का एलॉटमेन्ट नही हुआ। इस सम्बन्ध में उक्त आवंटन आदेश दिनांक 27.07.1986 की नकल लेने का प्रार्थना पत्र राजस्व शाखा में पेश किया गया किन्तु कोई पत्रावली एलॉटमेन्ट की शाखा व रिकार्ड कार्यालय में नही मिली जिससे प्रार्थी को कोई नकल दी जा सकी। साविक खसरा नम्बर 330 रकबा 2.05 बीघा का एलॉटमेन्ट अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से नही हुआ और हाल खसरा नम्बर 368 साविक खसरा नम्बर 330 चक नम्बर 2 भरतपुर से नही बना है। सैटिलमेन्ट विभाग ने मिलान क्षेत्रफल में कपूरचन्द अप्रार्थी संख्या 01 की मिल्लत से इन्द्राज कर दिया है। आवंटन नियमों के तहत कदीम भूमि की एवज में बारानी भूमि को एलॉट नही किया जा सकता तथा आवंटित की जाने वाली भूमि खाली होनी चाहिये जबकि इस विवादित भूमि पर सन् 1950 से आज तक फौज का कब्जा रहा है जिसमें एम.ई.एस का कार्यालय है। अप्रार्थी का कभी भी विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 368 पर कब्जा नही रहा। एलॉटी का कब्जा न होने पर एलॉटमेन्ट स्वतः ही निरस्त हो जाता है तथा कब्जा आवंटी को दिया गया उसका कहीं भी उल्लेख नही है। हाल खसरा 368 साविक खसरा नम्बर 328 से बना है ना कि साविक खसरा नम्बर 330 से, यदि खसरा नम्बर 368 चक नम्बर 2 भरतपुर आवंटन योग्य है तो भी कब्जे के वाउण्ड्री के अन्दर होने से सुरक्षा के कारणो से फौज को आवंटित करने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सैटिलमेन्ट विभाग से मिलकर गलत तरीके से प्रार्थी के कब्जे की भूमि की खातेदारी प्राप्त की है, बंदोबस्त विभाग को यह अधिकार नही था कि प्रार्थी की, प्रार्थी की कब्जेक की भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज कर दें। विवादित भूमि बहुमूल्य भूमि है। जिसे अप्रार्थी ने गलत तरीके से अपने नाम व इन्द्राज कराया है। प्रकरण 14(4) का होने के कारण समय अवधि नही दी गई है फिर भी दिनांक 15.10.2018 से जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 14(4) एलॉटमेन्ट रूल्स 1970 स्वीकार किया जाकर तथाकथित फर्जी एलॉटमेन्ट 28.07.1986 अप्रार्थी संख्या 01 के नाम को शून्य किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र 14(4) दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति मैन्टेनेविल न होने बाबत पेश किया गया। प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अभिभाषक अप्रार्थीगण स0 01 द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) एलॉटमेन्ट रूल्स 1970 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के संदर्भ में मैन्टेनेविल न होने से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति इस प्रकार पेश किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 5 बीघा का खरीदशुदा गैरप्रार्थी का था जिसमें से 4.13 बीघा चक न0 02 भरतपुर फ्लड ड्रेन में चला गया। 4.13 बीघा के बदले साविक आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 2.04 बीघा व 316 रकबा 2.09 बीघा प्राप्त किये है। साविक आराजी खसरा नम्बर 330 का हाल खसरा नम्बर 368 रकबा 36 ऐयर बना है जो कि गैर प्रार्थी की खातेदारी का नम्बर है। यह रकबा गैर प्रार्थी को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भूमि के बदले(एक्सचेंज) दिया है। इस प्रकार अप्रार्थी को मिली एक्सचेंज की आराजी पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1970 के नियम 14(4) लागू नही होते है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा की गई अपील प्रावधानुसार मैन्टेनेविल नही है। रकबा अप्रार्थी का स्वंय की खातेदारी का रकबा है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्तियों का के सबंध में जबाब पेश करते हुये प्रारम्भिक आपत्तियों को नकारते हुये अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए यह तथ्य अपनी बहस में कथन किया है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 328 व 330 सिवायचक बेकेन्ट लैण्ड नही थी। आ0ख0न0 330 मिलिट्री इंजीनियरिंग का है तथा फौज का कब्जा था जो हाल भी हाल खसरा नम्बर 368 रकबा 36 एयर वाके चक न0 02 भरतपुर में फौज की पक्की बाउण्ड्री के अन्दर है। यह रकबा मिलिट्री इंजीनियरिंग का होने से अप्रार्थी का रकबे से कोई सबंध नही है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी के एतराज प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें उभयपक्ष के अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जिला भरतपुर के आदेश कमांक राजस्व/12/2/66/85/3946–53 दिनांक 28.07.1986 में स्पष्ट अंकित है कि " रनजीत नगर फ्लड ड्रेन का निर्माण कार्य कराते समय वर्ष 1978–79 में कपूरचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद वैश्य नई मण्डी भरतपुर की स्वंय की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 5 बीघा चक न0 02 भरतपुर को बिना मुआवजा भुगतान के अधिग्रहण कर उक्त फ्लड ड्रेन के निर्माण में लिया गया था। प्रार्थी कपूरचन्द द्वारा उक्त अधिग्रहित खातेदारी भूमि के बदले उचित मुआवजा या उतनी ही कृषि भूमि दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 5 बीघा अवाप्तशुदा भूमि के बदले खसरा नम्बर 330 रकबा 2.04 तथा खसरा नम्बर 316 रकबा 2.09 बीघा एवं खसरा नम्बर 328 रकबा 7 बिस्वा कुल 5 बीघा भूमि दिये जाने के आदेश दिये जाते है"।

इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन से प्राप्त न होकर जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 28.07.1986 के द्वारा विनिमय (एक्सचेंज) से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी की उक्त भूमि स्वंय की खातेदारी आराजी है। एक्सचेंज की आराजी पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट नियम 1970 के नियम 14(4) लागू नही होते है। इस कारण अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार किये जाने योग्य पाते

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

है। वैसे भी प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से म्याद बाहर प्रस्तुत करने तथा प्रार्थना पत्र 14(4) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार मैन्टेनेविल नही होने से खारिज योग्य पाते है।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) मैन्टेनेविल न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर